

## जून 2024

### PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **राजनीति और शासन**
  - नई केंद्र सरकार का गठन
  - राष्ट्रपति के अभिषेक में सरकार की उपलब्धियाँ
  - सनिमेटोग्राफ (दंड अधिनियम) नयिम, 2024
  - भारत में फोरेसिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने की योजना
- **अर्थव्यवस्था**
  - अपतटीय खनजि क्षेत्रों की पहचान करने के नयिम अधिसूचति
  - अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने हेतु नए नयिम अधिसूचति
- **शिक्षा**
  - स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी
  - परीक्षा प्रक्रिया में सुधार का सुझाव देने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित
- **पर्यावरण**
  - अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को मंजूरी

### राजनीति और शासन

#### नई केंद्र सरकार का गठन

- **18वीं लोकसभा** के चुनाव के परिणाम 4 जून, 2024 को घोषित किये गये और 543 निर्वाचन क्षेत्रों से 41 दलों के सदस्य चुने गये।
- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance- NDA) ने श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर सरकार बनाई।

//

| Party                        | No. of seats |
|------------------------------|--------------|
| Bharatiya Janata Party       | 240          |
| Indian National Congress     | 99           |
| Samajwadi Party              | 37           |
| All India Trinamool Congress | 29           |
| Dravida Munnetra Kazhagam    | 22           |
| Telegu Desam Party           | 16           |
| Janata Dal (United)          | 12           |
| Others                       | 88           |
| <b>Total</b>                 | <b>543</b>   |

## राष्ट्रपति के अभिषेक में सरकार की उपलब्धियाँ

- **भारत के राष्ट्रपति** ने 27 जून, 2024 को **संसद** के दोनों सदनों की **संयुक्त बैठक** को संबोधित किया।
- **अभिषेक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:**
  - **अर्थव्यवस्था:** 10 वर्षों में भारत **11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** से बढ़कर विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार भारत को विश्व की **तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बनाने के लिये प्रयासरत है।
  - **उद्योग:** **सेमीकंडक्टर** से लेकर लड़ाकू जेट और विमानवाहक पोत तक के उभरते क्षेत्रों को **मशिन मोड** में बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र **मेड-इन-इंडिया** चिप्स (Made-in-India Chips) का केंद्र बनेगा।
  - **रक्षा:** **पछिले वर्ष रक्षा खरीद का लगभग 70% हस्सा भारतीय निर्माताओं से लिया गया। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे विकसित किये जा रहे हैं।**
  - **बुनियादी ढाँचा और परिवहन:** उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में **बुलेट ट्रेन कॉरिडोर** के लिये व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा। सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने हेतु नरिंतर प्रयास कर रही है।
  - **शहरी एवं ग्रामीण विकास:** **प्रधानमंत्री आवास योजना** के अंतर्गत तीन करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
  - **गृह मंत्रालय:** **सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958** को चरणबद्ध तरीके से पूर्वोत्तर के अशांत क्षेत्रों से हटाया जा रहा है।

## सनिमैटोग्राफ (दंड अधिनियम) नयिम, 2024

- **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** ने सनिमैटोग्राफ (दंड अधिनियम) नयिम, 2024 को अधिसूचित किया।
- **नयिमों की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:**
  - **प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति:**
    - केंद्र और राज्य सरकारें दंड नरिधारण के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं।
    - केंद्र सरकार के मामले में **प्राधिकृत अधिकारी** अवर सचवि के पद से नीचे का नहीं होना चाहिये।
    - **राज्य सरकारों** के मामले में अधिकारी नमिन पद से नीचे नहीं होने चाहिये:
      - अतरिकित ज़िला मजसिद्रेट
      - अतरिकित कलेक्टर
      - ज़िले के अतरिकित उपायुक्त
      - राज्य सरकार के अवर सचवि
  - **जुर्माना लगाना:**
    - जुर्माने की राशा नमिनलखिति **नरिदषिट कारकों** पर वचिर करने के बाद तय की जाएगी:

- उल्लंघन की प्रकृति।
- अनुपातहीन लाभ या लाभ की मात्रा।
- उल्लंघन की पुनरावृत्ति।
- जुरमाना तय करने का आदेश नोटिस जारी करने के **90 दिनों** के भीतर पारित किया जाना चाहिये।
- **प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियाँ:**
  - प्राधिकृत अधिकारी उल्लंघनों की **जाँच करने के लिये कुछ शक्तियों का प्रयोग** कर सकता है। इनमें शामिल हैं:
    - प्रदर्शनी स्थल में प्रवेश करना (या किसी अन्य अधिकारी को प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत करना)
    - व्यक्तियों को बुलाना (लिखित रूप में)
    - प्रासंगिक माने जाने वाले साक्ष्य, जैसे नगिरानी फुटेज और टिकट स्कैन के लिये आदेश।
- **अपील प्रक्रिया:**
  - अपीलीय प्राधिकारी नमिन पद का अधिकारी नहीं होना चाहिये।
    - उप सचिव या नदिशक, जहाँ प्राधिकृत अधिकारी अवर सचिव स्तर का हो
    - ज़िला मजिस्ट्रेट, जहाँ प्राधिकृत अधिकारी अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट स्तर का होगा।
  - **अपील** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने के **30 दिनों के भीतर दायर** की जानी चाहिये।
  - अपीलीय प्राधिकारी को, जहाँ भी संभव हो, अपीलों का नरिणय **छह माह** के भीतर करना होगा।

## भारत में फोरेंसिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने की योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **2,254 करोड़ रुपए** के परियोजना के साथ **नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम** (National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme) को मंजूरी दी।
- इसे वर्ष **2024-25 से 2028-29** के बीच क्रियान्वित किया जाएगा।
- इस योजना में नमिनलिखित शामिल होंगे:
  - देश में **राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Sciences University- NFSU)** के परिसर स्थापित करना
  - केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ स्थापित करना
  - NFSU के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना।
- इस योजना का उद्देश्य देश में **प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी** को दूर करना तथा **90% से अधिक दोषसिद्धि दर** हासिल करने में मदद करना है।

## अर्थव्यवस्था

### अपतटीय खनजि क्षेत्रों की पहचान करने के नयिम अधिसूचति

- **खान मंत्रालय** ने **अपतटीय क्षेत्र (खनजि संसाधनों का असततिव) नयिम, 2024** अधिसूचति कर दिये हैं।
- इन्हें **अपतटीय क्षेत्र खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 2002** के अंतर्गत जारी किया गया है।
- नयिमों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
  - **उत्पादन पट्टे के लिये क्षेत्रों की पहचान:**
    - उत्पादन पट्टा उस क्षेत्र हेतु दिया जा सकता है जिसके लिये:
      - कम-से-कम **सामान्य अन्वेषण** पूरा हो गया है
      - एक **भू-वैज्ञानिक अध्ययन** रिपोर्ट तैयार की गई है।
  - **समग्र लाइसेंस के लिये क्षेत्रों की पहचान:**
    - **समग्र लाइसेंस** उस क्षेत्र हेतु दिया जा सकता है जिसके लिये:
      - कम-से-कम **सर्वेक्षण** पूरा हो चुका है या मौजूदा **भूविज्ञान डेटा के आधार पर खनजि ब्लॉक की खनजि क्षमता** की पहचान कर ली गई है, लेकिन **संसाधनों का पता लगाना अभी बाकी है।**
      - एक **भूवैज्ञानिक अध्ययन** रिपोर्ट तैयार की गई है।
  - **समग्र लाइसेंस के लिये किसी क्षेत्र को अधिसूचति करने हेतु आवेदन:**
    - उपरोक्त उल्लिखित मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिये क्षेत्रों को अधिसूचति करेगी।
    - कोई भी इच्छुक व्यक्ति समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिये किसी क्षेत्र को अधिसूचति करने हेतु सरकार को प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है।

### अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने हेतु नए नयिम अधिसूचति

- केंद्रीय वदियुत नयियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission- CERC) ने **CERC (ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, नयिम और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) वनियम, 2024** अधिसूचति कर दिये हैं।
- यह वधियक अंतर-राज्यीय वदियुत पारेषण के लिये लाइसेंस प्रदान करने और प्रशासन हेतु रूपरेखा प्रदान करता है।
- **2024 वनियमों के अंतर्गत प्रमुख परिवर्तन नमिनलिखित हैं:**
  - कुछ प्रयोजनों के लिये छूट:

- **वतिरण लाइसेंसधारियों और थोक उपभोक्ताओं** को अपनी प्रणालियों को अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से जोड़ने वाली पारेषण लाइनों को विकसित करने तथा संचालित करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
- **थोक उपभोक्ता** से तात्पर्य उन उपभोक्ताओं से है, जो 33 KV या उससे अधिक वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त करते हैं।
- **मौजूदा लाइसेंस के तहत अतिरिक्त कार्यों के लिये प्राधिकरण:**
  - इसमें ऐसे अतिरिक्त कार्यों को मौजूदा लाइसेंस के अंतर्गत शामिल करने का प्रावधान है।
  - लाइसेंसधारक इस प्रयोजन के लिये मौजूदा लाइसेंस में संशोधन हेतु CERC को आवेदन कर सकता है।

## शिक्षा

### स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी

- **वशिवदियालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC)** ने “स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिये पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क” जारी किया।
- **इस ढाँचे का उद्देश्य नमिनलखिति के लिये लचीलापन प्रदान करना है:**
  - स्नातक कार्यक्रमों (UG) में पढ़ाए गए विषयों से नमिन विषयों का अध्ययन करना
  - विभिन्न शक्तिषण विधियों से PG शिक्षा प्राप्त करना
  - एक साथ **शैक्षणिक या औद्योगिक कार्य करना** और उसके लिये क्रेडिट प्राप्त करना
  - एक वर्ष के बाद PG डपिलोमा के साथ PG कार्यक्रम से बाहर निकलना।
- **फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:**
  - **PG कार्यक्रम के लिये क्रेडिट आवश्यकता और पात्रता:**
    - इसमें स्नातक स्तर के छात्रों के लिये विभिन्न प्रकार के PG कार्यक्रमों हेतु **पात्रता मानदंड** निर्धारित किये गए हैं।
      - उदाहरण के लिये **एक वर्षीय MA, MCom या MSc डिग्री हेतु पात्र** होने के लिये, उम्मीदवार के पास **न्यूनतम 160 क्रेडिट** के साथ ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिये।
      - हालाँकि **दो वर्षीय MA, MCom या MSc डिग्री हेतु पात्र होने के लिये उन्हें 120 क्रेडिट** के साथ तीन वर्षीय/छह सेमेस्टर की स्नातक डिग्री की आवश्यकता होती है।
  - **ऋण वतिरण:**
    - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के अनुरूप, इस रूपरेखा के अनुसार PG कार्यक्रमों की अवधि एक या दो वर्ष होनी चाहिये।
    - **एक वर्षीय PG कार्यक्रम में 40 क्रेडिट** होंगे। इसे कोर्स वर्क, रिसर्च (प्रत्येक 20 क्रेडिट) या दोनों करके प्राप्त किया जा सकता है।
    - **दो वर्षीय PG डपिलोमा में 40 क्रेडिट** होते हैं, जिन्हें केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिये।
    - अन्य **दो वर्षीय PG कार्यक्रमों** में भी **40 क्रेडिट** होते हैं। इन्हें कोर्सवर्क, शोध या दोनों (प्रत्येक में 20 क्रेडिट) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  - **PG में विषय बदलने में लचीलापन:**
    - यह रूपरेखा स्नातक छात्रों को नमिनलखिति की अनुमति देती है:
      - यदि वे **प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण** हो जाते हैं, तो **स्नातकोत्तर में एक अलग विषय का अध्ययन** कर सकते हैं।
      - कसिी ऐसे **PG कार्यक्रम** के लिये आवेदन करना जो स्नातक अध्ययन में प्रमुख या गौण विषय रहा हो।
      - इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, कुछ छात्र मास्टर इन इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
  - **आकलन:**
    - यह रूपरेखा सुझाव देती है कि मूल्यांकन योगात्मक (इसमें इकाई परीक्षण और सेमेस्टर-वार परीक्षाएँ शामिल हैं) के विपरीत सतत होना चाहिये।
    - इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि मूल्यांकन सीखने के परिणामों पर आधारित होना चाहिये।
    - **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा (National Higher Education Qualification Framework-NHEQF)** UG और PG कार्यक्रमों के लिये सीखने के परिणामों को रेखांकित करती है।

### परीक्षा प्रक्रिया में सुधार का सुझाव देने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित

- **शिक्षा मंत्रालय** के अंतर्गत **उच्च शिक्षा विभाग** ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारु और नष्पिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- समिति की अध्यक्षता IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष और **इसरो** के पूर्व अध्यक्ष **डॉ. के. राधाकृष्णन** करेंगे।
- समिति नमिनलखिति पर **सफ़ारिशें** करेगी:
  - **परीक्षा प्रक्रिया** के तंत्र में सुधार
  - **डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल** में सुधार
  - **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी** की संरचना और कार्यप्रणाली।

## पर्यावरण

## अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं** के लिये **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण** उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा से तात्पर्य **जल नकियाँ, आमतौर पर समुद्र में स्थापित पवन टर्बाइनों** के माध्यम से वदियुत उत्पादन से है।
- **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण** से तात्पर्य उन परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता से है, जो आर्थिक रूप से उचित हो सकती हैं **लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता से कम हैं**।
- इस योजना से **गुजरात और तमलिनाडु** के तट पर **500-500 मेगावाट सहित** कुल एक गीगावाट कषमता की स्थापना में सहायता मलिंगी।
  - इन दोनों परियोजनाओं से **प्रतविरष 3.7 बलियिन यूनटि वदियुत उत्पन्न** होने का अनुमान है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-june-2024>

